कार्यालय निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, पशुधन भवन, मोथरोवाला–देहरादून।
संख्या– /नि.–5/एक(11)/गौ सदन/2026–27, दिनांक 02 सितम्बर, 2026

सेवा में,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
चम्पावत।

विषयः– जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र चम्पावत हेतु की गई घोषणा सं.–669/2024 "टनकपुर में नई गौशाला में पशु चिकित्सालय का निर्माण 0.85 करोड़ दी जायेगी" हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1507/XV–1/2026/e–82116 दिनांक 19 अगस्त, 2026 (Allotment ID Signed Dated 01-9-2026) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक 4403–पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय–00–101–पशु चिकित्सा संबंधी सेवायें तथा स्वास्थ्य–09–पशुपालन विभाग में राज्य सैक्टर योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य–53–वृहत निर्माण के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र चम्पावत हेतु की गई घोषणा सं.–669/2024 टनकपुर में नई गौशाला में पशु चिकित्सालय के निर्माण हेतु प्रस्तावित धनराशि रू. 82.91 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 60% की धनराशि रू. 49.75 लाख इस कार्यालय को अवमुक्त की गयी है। उक्त आवंटित धनराशि रू. 49.75 लाख को घोषणा सं.–669/2024 टनकपुर में नई गौशाला में पशु चिकित्सालय के निर्माण हेतु आपके निवर्तन में निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदिष्ट किया जाता हैः–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के समस्त सुसंगत नियमों/प्रक्रियाओं एवं योजना के दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।
2. यह भी सुनिश्चित् कर लिया जायेगा कि जिस प्रयोजन हेतु धनराशि दी जा रही है, उसी प्रयोजन हेतु उसका व्यय किया जाये तथा किसी भी स्थिति में धनराशि का अन्यथा उपयोग न हो।
3. आगामी प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय का विवरण/उपयोगिता प्रमाण–पत्र भी उपलब्ध कराया जायेगा।
4. उक्त निर्माण कार्य के औचित्य एवं आवश्यकता, डी०पी०आर० के संबंध में आहरण वितरण अधिकारी द्वारा स्वयं के स्तर पर सुनिश्चित हो लिया जायेगा। यदि कोई तकनीकी विधिक औपचारिकतायें है, तो उन्हें भी स्वयं के स्तर से पूर्ण कर लिया जायेगा।
5. समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं योजना के दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 23.04.2025 एवं 12.06.2023 के आलोक में सक्षम स्थल चयन समिति से प्राप्त आख्या के सम्बन्ध में स्वयं के स्तर से सुनिश्चित होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
6. कार्य को निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जायेगा, किसी भी स्थिति में कार्य की लागत को पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। साथ ही प्रस्ताव पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
7. यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि सम्बन्धित मद के अन्तर्गत प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने से कोई चालू कार्य प्रभावित न हो।
8. विभाग होने वाले निर्माण कार्य की गुणवत्ता का समुचित मूल्यांकन सुनिश्चित कर लें।
9. प्रशासनिक ध्बजट नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत पक्ष में बजट प्राविधान, अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का नियमित लेख जोखा रखा जाय एवं मासिक आधार पर इसका महालेखाकार, उत्तराखण्ड के स्तर पर मिलान करते हुए मिलान का प्रमाणित विवरण वित्त

अनुभाग–1 बजट निदेशालय तथा पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को भी प्रेषित किये जाने हेतु उपलब्ध कराया जाय।

10. स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के संबंध में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता/दुरुपयोग/दोहरीकरण (Doubling) पाये जाने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी/कार्यदायी संस्था पूर्णतः उत्तरदायी होगें।
11. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय तकनीकी औपचारिकताओं वित्त विभाग के सभी सुसंगत नियमों/प्रक्रियाओं अधिप्राप्ति नियमावली–2025, (समय–समय पर संशोधित) का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में अनुदान संख्या–28 के अंतर्गत संलग्न एलाटमेंट आई.डी. में अंकित लेखाशीर्षक/मानक मद के अंतर्गत वहन किया जायेगा।

संलग्न–एलाटमेंट आई.डी.

भवदीय,

(विदुषी भट्ट जोशी)
वरिष्ठ वित्त अधिकारी
कृते–निदेशक।

संख्या–2948/नि.–5/एक(11)/गौ सदन/2026–27, उक्त दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य कोषाधिकारी, चम्पावत।
2. लेखा/पशुधन/संख्या, मुख्यालय।
3. उप निदेशक, एमआईएस को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
4. संयुक्त निदेशक, भूमि भवन/घोषणा अनुभाग, मुख्यालय।
5. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, हल्द्वानी–नैनीताल।
6. सचिव, उत्तराखण्ड शासन, पशुपालन अनुभाग–1, सचिवालय–देहरादून।
7. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

Vidushi

(विदुषी भट्ट जोशी)
वरिष्ठ वित्त अधिकारी
कृते–निदेशक।